

परदा अहवाल

स्वास्थ्य उप-खण्ड अधिकारी जयपुर हिलीय, जयपुर
 नाथुलका खनाम शिवराम चौधरी
 मुकदमा संख्या / वर्ष 53/2023 - डा.ग. / 20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/5/24	<p>पञ्चावली पेश हुई। वकील उमरपुत्र उमरपुत्र नानी की ओर से उपपत्र 07 RII CPC का जवाब पेश नहीं। उपपत्र 07 RII CPC का जवाब नानी कन्ड फिसा जवाब नाले वरुण उपपत्र 07 RII CPC के दिनांक 11/6/24 को पेश हो।</p> <p align="center"><i>(Signature)</i> उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (हिलीय)</p>	
	11/6/2024	<p>पञ्चावली पेश हुई। वकील उमरपुत्र उमरपुत्र नानी की ओर से उपपत्र 07 RII CPC का जवाब पेश नहीं। उपपत्र 07 RII CPC का जवाब नानी कन्ड फिसा जवाब नाले वरुण उपपत्र 07 RII CPC के दिनांक 11/6/24 को पेश हो।</p> <p align="center"><i>(Signature)</i> उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (हिलीय)</p>	
	18/6/24	<p>पञ्चावली पेश हुई। वकील उमरपुत्र उमरपुत्र नानी की ओर से उपपत्र 07 RII CPC के जवाब पेश नहीं। उपपत्र 07 RII CPC का जवाब नानी कन्ड फिसा जवाब नाले वरुण उपपत्र 07 RII CPC के दिनांक 11/6/24 को पेश हो।</p> <p align="center"><i>(Signature)</i> उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (हिलीय)</p>	<p>Babulal Madis 18.6.24</p>
	24/6/24	<p>पञ्चावली पेश हुई। वकील उमरपुत्र उमरपुत्र नानी की ओर से उपपत्र 07 RII CPC के जवाब पेश नहीं। उपपत्र 07 RII CPC का जवाब नानी कन्ड फिसा जवाब नाले वरुण उपपत्र 07 RII CPC के दिनांक 11/6/24 को पेश हो।</p> <p align="center"><i>(Signature)</i> उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (हिलीय)</p>	<p align="center"><i>(Signature)</i> उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (हिलीय)</p>



श्री ११
 श्री ६
 श्री

३२
 ५१

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

देखनीय अधिकारी का नाम : हिन्मत सिंह, आर.ए.एस.
 वाद संख्या : 53/2023
 निर्णय दिनांक _____

1. नाथूलाल पुत्र स्व. केसर लाल, आयु 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. शिवराम चौधरी पुत्र श्री आनन्दीलाल चौधरी, आयु 46 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर संयोजक नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर राजस्थान।
2. प्रभाती देवी पत्नी भूरा
3. लल्लूराम
4. रामसहाय
5. ग्यारसीलाल पुत्रान भूरा, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मांग्यावास, तह. सांगानेर जिला जयपुर।
6. सतीश त्रिपाठी पुत्र श्री अवधेश त्रिपाठी निवासी ई-30 जमना जगर पथ नं. 6 सोडाला जयपुर जरिये अध्यक्ष/मंत्री मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड।
7. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, इन्द्रा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. श्री बनवारी लाल गुप्ता, अधिवक्ता वादी उपस्थित
2. श्री शिशुपाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित


दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 24.06.2024

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी नाथूलाल की ओर से राज. का.अधि. 1955 की धारा 188 वावत् स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया की ग्राम मांग्यावास पटवार हल्का मांग्यावास तह सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि ख.न. 290, 291, 292, 347, 347/496, 349 में से 4 बीघा 1 बिस्वा पक्की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 19.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 श्रीमती प्रभाती देवी, लल्लूराम, रामसहाय, ग्यारसीलाल पिता भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम मांग्यावास, तह. सांगानेर जिला जयपुर से कय कर कब्जा प्राप्त किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त भूमि 4 बीघा 1 बिस्वा को भूखण्डों में विभाजित कर कीर्ति नगर ओ ब्लोक के नाम से आवसीय कॉलोनी विकसीत की जिसके एक मात्र मालिक स्वामी व काबिज प्रतिवादी संख्या 1 हैं तथा इसको उपरोक्त भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त संपूर्ण भूखण्डों को 26,000 रुपये प्रति वर्गज के हिसाब से वादी को विक्रय करना तय किया ओर वादी के पक्ष में विक्रय कर दी कीर्ति नगर ओ ब्लोक के भूखण्डों को संलग्न मानचित्र में दर्शित किया गया है तथा विक्रय प्रतिफल धन राशि में से 51,00,000 लाख रुपये दिनांक 29.08.2018 को बतोर एडवांस साई पेटे एक चेक नम्बर 032356 राशि 1,00,000 रुपये बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मानसरोवर जयपुर के द्वारा जारी व 50,00,000 रुपये नगद प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से प्राप्त कर लिये। तथा विक्रय प्रतिफल की बकाया राशि के लिए वादी ओर प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के मध्य यह इकरार हुआ कि इस योजना का शिविर लगने की विज्ञापित अखबार में निकलने की तिथि से 15 दिन की अवधि में 50,00,000 रुपये का भूकतान कर देगा तथा शेष संपूर्ण राशि का भूकतान कॅम्प तिथि से 5 माह के अन्दर कर देगा तथा दिनांक 17.09.2018 से 2 माह 15 दिन के अन्दर गियाद प्रतिवादी संख्या 1 इस पर कॅम्प लगवाने के लिए वाध्य रहेगा। इस प्रकार इकरारनामा में शर्तें दर्ज करते हुए यह भी तय हुआ कि बेची गई भूमि के संबंध में अगर कोई भी पूर्व का झगडा, टन्टा सरकारी व जनसाधारण का बकाया आदि होगा या प्रतिवादी संख्या 1 कब्जे में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो प्रतिवादी उन सबका निपटारा अपने खर्चों से करेगा। तथा विक्रय किये गये भूखण्डों का भूकतान मौके पर नपती के अनुसार किया जावेगा अगर उक्त भूखण्ड नपती में कम पडती है तो भूकतान भी कम किया जावेगा तथा सोसायटी पट्टे नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति के दिये जावेगे। वाद अधीन सम्पत्ति को समझाने के लिए वादपत्र के साथ नक्शा मानचित्र संलग्न है। तथा वादी ओर प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विक्रय इकरारनामा की तयशुदा शर्तों को दर्ज करते हुए दिनांक 17.09.2018 को इकरारनामा निष्पादित किया गया जिस पर वादी और प्रतिवादी संख्या 1 हुए व गवाहान के हस्ताक्षर हुए। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना किये जाने पर ही शेष राशि का भूकतान किया जाना तय हुआ था। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इकरारनामा में दर्ज अपने जिम्मे की शर्तों की पालना किया जाना अति आवश्यक था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जिम्मे की शर्तों की पालना नहीं की, ओर प्रतिवादी संख्या 1 वादी को बेचे गये भूखण्ड जिनका विवरण वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अंकित किया गया है, को अन्य को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 मिलकर प्रतिवादी संख्या 7 से सांडगांट कर नियमन कार्यवाही करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उपरोक्त वर्णित भूखण्ड विक्रय कर इकरारनामों में अपने जिम्मे की शर्तों की पालना कर वादी को सूचित करता। तथा वादी से प्रतिवादी संख्या 1 ने पार्ट पेमेन्ट के रूप में 51,00,000 रुपये की राशि भी प्राप्त कर रखी है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अपने जिम्मे की शर्तों की पालना किये जाने में गुरेज पैदा कर रहा है तथा वादी को हर आश्वासन देता रहा है कि शीघ्र ही अपने जिम्मे की शर्तों की पालना कर वादी को सूचित कर देगा। तथा जब तक प्रतिवादी संख्या 1 अपने जिम्मे की शर्तों की पालना नहीं करता है तब तक वादी को संविदा की पालना का वादकारण उत्पन्न नहीं होता इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने जिम्मे की शर्तों की पालना किये बिना ही विना किसी युक्ति युक्त कारण के वाद अधीन सम्पत्ति को प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय कर आवंटन पत्र जारी करने पर आमादा है तथा इस आशय की खुली घोषणा कर दी है कि वाद अधीन सम्पत्ति को अन्य को विक्रय करना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उपरोक्त वर्णित वाद अधीन सम्पत्ति को विक्रय कर इसका कब्जा किसी अन्य को सुपुर्द करना चाहता है तथा वादग्रस्त भूमि पर आकर दिनांक 13.05.2023 को वादी को धमकी दी कि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से खरीदुगा जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को किसी भी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने को अधिकारी है कि वाद अधीन सम्पत्ति जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित कि गई है जो कि किसी अन्य को हरतान्तरित विक्रय, रहन, बक्शीश इत्यादि नहीं करे ओर ना ही किसी अन्य को भूखण्डों का आवंटन पत्र जारी करे ओर ना ही किसी अन्य को कब्जा सुपुर्द करे, तथा प्रतिवादी संख्या 7 वादग्रस्त भूमि बाबत नियमन संबंधी कार्यवाही नहीं करे रिकॉर्ड व मौके की यथार्थिती बनाये रखें तथा सम्पत्ति पर किसी प्रकार का भार उत्पन्न नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे कि वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े तथा वाद हाजा के लिए वाद



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (संगानेर)

कारण दिनांक 13.05.2023 को उत्पन्न हुआ जिस दिन कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य दीगर दलालो के साथ प्रतिवादी संख्या 6 वादग्रस्त भूमि पर आकर वादी को धमकी दी कि उक्त वादग्रस्त भूमि को खरीदूंगा व प्रतिवादी संख्या 7 से मिलकर नियमन की कार्यवाही करूंगा जो करना है वह कर तो इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि को विक्रय किये जाने की घोषणा करने पर वादकारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। तथा वाद अधीन सम्पत्ति ग्राम मांग्यावास तह. सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित होने से मान्य न्यायालय को वाद सुनने व निर्णय करने को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तथा वाद हाजा पर्याप्त न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। तथा वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है कि


(क) दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर वाद अधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 290, 291, 292, 347, 347/496, 349 मे से 4 बीघा 1 बिस्वा पक्की भूमि जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे मे दर्शित कि गई है को किसी अन्य को हस्तान्तरित विक्रय, रहन, बक्शीश आदि नही करें, ना ही किसी अन्य को भूखण्डो का आवंटन पत्र जारी करे, प्रतिवादी संख्या 7 वादग्रस्त भूमि बाबत नियमन संबंधी कार्यवाही नही करे तथा वाद अधीन सम्पत्ति का कब्जा किसी अन्य को सुपुर्द नही करे तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे वादी के अधिकार प्रभावित होवे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो मान्य न्यायालय वादी के पक्ष मे हो वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता की जाकर वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जाकर तत्व किया गया प्रतिवादी संख्या 1 शिवराम चौधरी की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 सी.पी.सी 1908 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि

वादी द्वारा हस्तगत वाद पत्र मे यह कथन अंकित करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मांग्यावास, पटवार हल्का मांग्यावास, अन्तर्गत तह. सांगानेर जिला जयपुर मे कृषि भूमि ख.न. 290, 291, 292, 347, 347/496, 349 मे से 4 बीघा 1 बिस्वा पक्की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 19.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 से कय कर कब्जा प्राप्त किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने कीर्ति नगर आवसीय योजना विकसित की उक्त आवसीय योजना कीर्ति नगर के संपूर्ण भूखण्डो को 26,000 रुपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से वादी को विक्रय तय कर, वादी को विक्रय कर दिया। वाद पत्र की आगे की मदो मे वादकारण उत्पन्न होना कथित कर वाद पत्र मे स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित किये जाने का निवेदन किया है। तथा वाद पत्र के अभिवचनो से यह स्पष्ट है कि वादी भूमि खसरा नंबर 290, 291, 292, 347, 347/496, 349 का ना तो खातेदार काश्तकार है, ना ही विधिक स्वामित्वधारी है विधि इस बिन्दु पर स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालय के समक्ष कृषि भूमि के संदर्भ मे स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र भूमि का खातेदार ही ला सकता है। ऐसी सूरत मे जहा वादी वाद संपत्ति का खातेदार नही है तो वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकार नही है। इसलिए वाद वादी न्यायालय के समक्ष विधि द्वारा वर्जित है। तथा वाद पत्र मे किये गये अभिवचनो से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा भूमि ख.न. 290, 291, 292, 347, 347/496, 349 मे से जिस 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि का विवाद बताया जा रहा है उस पर योजना कीर्ति नगर विकसित हो चुकी है ऐसी सूरत मे जहां भूमि की किश्म कृषि से गैर कृषि के रूप मे परिवर्तित हो चुकी है तो राजस्व न्यायालय को ऐसी भूमि के संदर्भ मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सुनने का



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए भी वाद वादी न्यायालय के समक्ष विधि द्वारा वर्जित है। तथा वाद पत्र की मद संख्या 3 व 4 में किये गये अभिवचनों के अनुसार वादी के वादपत्र का अर्थ यह निकल रहा है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य भूमि के संदर्भ में हुए विक्रय सत्यवहार को लेकर विवाद है। ऐसी सूरत में विक्रय सत्यवहार के विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर, दीवानी न्यायालय को है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना समीचीन है कि वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र में जिस प्रकार के अभिवचन किये गये हैं उसी प्रकार के अभिवचन कर वादी द्वारा माननीय अपर सिविल न्यायाधीश, कम संख्या 18 जयपुर महानगर मुख्यालय सांगानेर के समक्ष दीवानी वाद नाथुलाल बनाम शिवराम चौधरी बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसे उक्त न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.05.2023 के द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ लौटा दिया गया तथा वादी द्वारा अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष रेफरेंस प्रार्थना पत्र संख्या 150/2023 नाथुलाल बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया था। जिसमें भी दिनांक 03.05.2023 को वादी को किसी प्रकार का अंतरिम अनुतोष प्रदत्त नहीं किया गया। उपरोक्त पूर्व में संस्थित व लंबित प्रकरणों को वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र में जानबूझकर छिपाया गया है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है ऐसी सूरत में वादी का वाद कंसीलमेन्ट ऑफ फेक्ट से ग्रसित है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है। तथा वाद पत्र के अभिवचनों से यह परिलक्षित होता है कि वादी विक्रय के करार के आधार पर वादपत्र संस्थित कर रहा है विक्रय का करार संपत्ति के स्वामित्व के वैध अंतरण का दस्तावेज नहीं है ना ही विक्रय के करार से अचल संपत्ति में हक अधिकारों का सृजन होता है, ना ही विक्रय के करार के उत्पन्न विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 एच के तहत भी हस्तगत वाद चलने योग्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत उपलब्ध उपचार के संदर्भ में वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर, दीवानी न्यायालय को है। ऐसी सूरत में वाद वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में खारीज लायक है। तत्पश्चात वादी द्वारा दो मुक्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 5016/2023 व 5014/2023 न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये जो दिनांक 09.03.2024 को खारिज किये गये। तत्पश्चात दिनांक 27.05.2024 को वादी का ओडर 7 रूल 11 प्रार्थना पत्र का जवाब आगामी पेशी को स्वतः बन्द किया जावेगा। दिनांक 28.05.2024 को जवाब बन्द किया तथा दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थी की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी.सी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.06.2024 को नियत कि गई एव दिनांक 18.06.2024 को अधिवक्ता वादी द्वारा निर्णय प्रस्तुत करने के लिए समय लेने का आग्रह करने पर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.06.2024 नियत की गई। दौरान बहस प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों व तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र के समर्थन में निवेदन किया गया कि वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त अधि. 1955 के तहत प्रस्तुत किया तथा काश्त धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रिकॉर्डेड खातेदार मात्र को है, वादी प्रश्नाधीन भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है भूमि वाद ग्रस्त ख.न. 290, 291, 292, 347, 347/496, 349 के जमाबन्दी सम्बत 2023 से 2077 के अनुसार भु.प्रभाती वैवा भूरा, लल्लूराम, ग्यारसीलाल, रामसहाय पुत्र भूरा प्रतिवादी संख्या 2 लगभग 5 व लक्ष्मण, तैजा पिता भूरा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में राज. काश्त अधि. 1955 की धारा 188 की मूल



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भावना की The scope and applicability of the section :- only a 'tenant' can bring a suit under this section - only a tenant can bring suit for injunction under sec. 188. The very opening words of this section say that it is only a tenant whose right to or enjoyment of his holding is invaded, who can bring a suit for injunction से अवगत कराया

तथा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:-

2019 (1) RRT peg. 268 Boduram vs Ganesh:-

मे निर्णत किया गया कि :- CPC 1908 order 7 rule 11- Suit for permant injunction on the basis of long possession- Application filed to reject the suit dismissed-Contention that the plaintiff is not a khatedar tenant therefore suit is barred by the law-law only tenant is entitled to file the suit for perpetual injunction-1held. Order set aside and the suit is rejected being barred by law.

IMP. POINT:- Only tenant is entitled to file the suit for perpetual injunction.

Case Referred

- | | |
|--------------------|------------------|
| (1) 2003(1) RRT 22 | (2) 1994 RRD 770 |
| (3) 1994 RRD 720 | (4) 1991 RRD 426 |
| (5) 1996 RRD 294 | |

2003(1) RRT peg. 22, गोकुल चंद बनाम रामसहाय वगै:-

CPC 1908- Order 7 Rule 11- S.D.O. rejected the application-
Plaint can be rejected before filling of written statement-khatedar tenant is only entitled to get relief under sec. 188, Rajasthan Tenancy Act- person holding ikrarnama in not entitled to any relief under sec. 188-Aggrieved person has right to file civil suit for specific performance of ikarnama-order is illagal and set aside and suit dismissed.

1979 RRD peg. 571- Gulabchand vs Padamsingh

1987 RRD peg. 132 DB- Ramjilal vs Ramlal:-

Raj. Tenancy Act. Sec. 188- Relief for permanent injunction cannot be sought by any person who is not a tenant.

वादी का यह भी कथन रहा कि भूमि वादग्रस्त उक्त ख.न. मे से 4 विघा 1 बीस्वा क्य की है किन्तु उसके द्वारा विक्रय पत्र पेश नही किया कानूनन अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर तथाकथित क्रेता को कोई वेधानिक अधिकार प्राप्त नही होते है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने

A.I.R- 1960 sc. peg. 1368-

near agreement to sale confirm not title or interst on eliease transfer

उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी मे वादी द्वारा प्रस्तुत अस्गत वाद मेन्टीनेवल नही होने से व वाड बाईला होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज किया जाना उचित समझते है।

इसके अतिरिक्त विवाधित भूमि के सम्बन्ध मे वादी द्वारा माननीय अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 18 जयपुर महानगर मुख्यालय सांगानेर के समक्ष दीवानी वाद नाथुलाल बनाम शिवराम चौधरी बाबत स्थाई निषेधज्ञा प्रस्तुत किया गया था जिसे उक्त न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.05.2023 के द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ लोटा दिया गया तथा वादी द्वारा अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 150/2023 नाथुलाल बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया था। जिसमें भी दिनांक 03.05.2023 को वादी को किसी प्रकार का अंतरिम

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अनुतोष प्रदत्त नहीं किया गया। उपरोक्त पूर्व में संस्थित व ललित प्रकरणों को वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र में जानबूझकर छिपाया गया है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है ऐसी सूत्र में वादी का वाद कंसीलमेन्ट ऑफ फेक्ट से ग्रसित है इसलिए वादी को वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं है तो ऐसी सूत्र में वादी राजस्व न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादी बाड बाईला होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं। जैसा कि न्यायिक दृष्टांत :- माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय

2011 (2) पेज नं. 1419 मदनलाल बनाम बनवारी (राजस्थान हाईकोर्ट) में निर्णत किया गया कि

Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec 212- Temporary Injunction- Application rejected- concealment of fact-Earlier civil suit also filed and the application for T.I. was dismissed- Fact not disclosed before the RAA- petitioner not approached the court with clean hands- Board of Revenue has not committed any error in setting aside the order.

तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का कानूनन वाद के किसी भी स्टेज पर पेश किया जा सकता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टांत

A.I.R. 1987-SC-peg. 1926- Samar singh vs Kedar nath
cpc 1908- order 7,rule 11- Rejection of plaint-nondisclosure of cause of action-The power can be exercised even after filing of written statement or faming of issues.

1999 RBJ (6) peg. 10- Harphool singh vs Kundan mal

Civil Procedure Code, 1908- Order 7 Rule 11- The power to reject plaint can be exercised at any stage of the suit right form the presentation of the plaint and even after filing of the written statement.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद राजस्व न्यायालय के समक्ष मेन्टीनेवल न होने व वाड बाईला होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्या डिक्री जारी किया जाए पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया



(दिग्गज सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर जिला न्यायालय
 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
 जयपुर